

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

छोगालाल पिता दल्ला जी जाट निवासी दामाखेड़ा तहसील कपासन वगैरा  
बनाम

ग्राम पंचायत दामाखेड़ा जरिये सरपंच पंचायत समिति कपासन वगैरा

प्रकरण संख्या 37/2022 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार अनुपस्थित। अधिवक्ता वि. सं. 2 उपस्थित। रूक-रूक कर तीन-चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगराकार प्रकरण में लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगराकार को पेशी दिनांक 25.07.2024 पर न्यायहित में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी फिर भी वे आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	